

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ. बी. 25/29/94/पीडब्ल्यूसी/चार,

प्रति,

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 1995

शासन के समस्त विभाग,
 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
 समस्त संभागीय कमिशनर,
 समस्त विभागाध्यक्ष,
 समस्त कलेक्टर,
 मध्यप्रदेश.

विषय :-- पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण-अधिकारों का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण.

शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निवर्तन की दृष्टि से समसंख्यक आदेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1994 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि में कांट-छांट के प्रकरणों में जन्मतिथि को मान्यता प्रदान करने के अधिकार संबंधित संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को प्रत्यायोजित करता है।

2. जन्मतिथि की मान्यता के लिए प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के सक्षम अधिकारी संलग्न पत्रक में, शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका और जन्मतिथि के समर्थन में आवश्यक शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्रों के साथ संभाग के संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन आवश्यक परीक्षण कर जन्मतिथि के संबंध में “मान्यता” आदेश पारित करेंगे।

संलग्न-एक प्रपत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(के. एन. पन्त)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पु. क्र. एफ. बी. 25/29/94/पीडब्ल्यूसी/चार

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई, 1995

प्रतिलिपि :--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्डौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.

6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण), भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

9. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
10. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/16, तुलसी नगर, भोपाल.

11. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय, 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
12. प्रमुख महामंत्री, मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय, 6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.
13. महामंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
14. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
15. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, कार्यालय, 83/85, तुलसी नगर, भोपाल.
16. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.

17. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) / (ऑडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.

18. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
 (के. एन. पन्त)
 अवर सचिव.
 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

जन्मतिथि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

1. शासकीय सेवक का नाम तथा पद नाम.
2. सेवा निवृत्ति का दिनांक.
3. कार्यालय प्रमुख का पद नाम.
4. कांट/छांट/उपरिवेशन की स्थिति कब ध्यान में आई.
5. जन्मतिथि, जिसे मान्यता दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है :--
6. क्या उक्त स्वीकृति के संबंध में :-
 - (1) पूर्व में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.
यदि हां तो परिणाम.
 - (2) क्या प्रकरण पूर्व में किसी पेंशन शिविर में प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां तो परिणाम.
 - (3) क्या न्यायालय/प्रशासनिक अभिकरण में प्रकरण लंबित हैं अथवा निराकृत किया गया है.
7. स्वीकृति का आधार (यथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जावें).
8. विभागीय अनुशंसा.
9. अन्य विवरण, यदि कोई हो तो.

- संलग्न :-**
- (1) सेवा पुस्तिका., भागों में.
 - (2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र.
 - (3) अन्य प्रमाण-पत्र, यदि संलग्न किए गए हों तो.